

परिशिष्ट - 3

53

राजस्थान स्टेट बेवरेज निगम लिमिटेड, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2012-13 (दिसम्बर 2012 तक)

Dr. K. S. Singh

राजस्थान स्टेट बेवरेज निगम लिमिटेड, जयपर

1. प्रस्तावना:--

- 1.1 राजस्थान स्टेट बेवरेज निगम लिमिटेड का गठन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में किया गया। इस निगम को भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के क्रय एवं विक्रय का एकाधिकार दिया गया। निगम का गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुआ। निगम ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियां दिनांक 01.04.2005 से प्रारम्भ की।
- 1.2 निगम द्वारा 01.04.2012 से 31.12.2012 तक 41 विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न 391 ब्राण्डों की दरें तय की गईं। निगम द्वारा किसी भी ब्राण्ड की दरों का निर्धारण, निर्माता/सप्लायर द्वारा प्रस्तुत विभिन्न राज्यों को प्रस्तुत एक्स डिस्टीलरी प्राईस (EDP) में से न्यूनतम को आधार मानकर, उसमें आबकारी शुल्क एवं विभिन्न मदों में वास्तविक खर्चों के पुनः भुगतान को मध्यनजर रखते हुए किया जाता है। उपरोक्त निर्धारित दरों में निगम का 2 प्रतिशत मुनाफा (मार्जिन मनी) भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार EDP, वास्तविक लागत का पुनर्भुगतान, आबकारी शुल्क एवं निगम के लाभ को सम्मिलित करते हुए ब्राण्ड विशेष का विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है।
- 1.3 निगम के विक्रय मूल्य में रिटेलर/अनुज्ञाधारी का मुनाफा, परमिट एवं स्पेशल वेण्ड फीस को सम्मिलित करते हुए IMFL (Quart & Pint पर 20%), (Nip पर 23%) मुनाफा देकर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का निर्धारण किया गया है, एवं Beer पर सभी साईज में 23% मुनाफा देकर अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारण किया गया है।
- 1.4 समस्त 391 ब्राण्डों का विक्रय राज्य के 33 जिलों में स्थित 39 डिपो के द्वारा खुदरा अनुज्ञाधारियों को किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 (दिसम्बर 2012) तक के दौरान 2309.28 करोड़ रुपये की भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर का विक्रय किया गया। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान मदिरा एवं बीयर विक्रय पर 2 प्रतिशत मुनाफे (मार्जिन मनी) के परिणाम स्वरूप निगम द्वारा लगभग 50.72 करोड़ की आय प्राप्त हुई।
- 1.5 सप्ताह के गुरुवार से बुधवार के मध्य राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में स्थित डिपो के माध्यम से विक्रित मदिरा एवं बीयर का भुगतान सम्बन्धित निर्माताओं/सप्लायर्स को आगामी सोमवार को मुख्यालय द्वारा RTGS के माध्यम से किया जाता है।
- 1.6 वित्तीय वर्ष 2011-12 दौरान निगम द्वारा एकत्रित 2% मुनाफा (मार्जिन मनी) में से राज्य सरकार को 2.24 करोड़ रु. अनुज्ञा शुल्क एवं 52.00 करोड़ रु. प्रिविलेज शुल्क के रूप में भुगतान किया गया।
- 1.7 इस प्रकार निगम के गठन के परिणाम स्वरूप जहां राज्य सरकार को अनुज्ञा शुल्क एवं आबकारी शुल्क वसूली का लक्ष्य प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर पूरे राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के मूल्यों में एकरूपता बनी रही।

Malani

2. निगम की प्रशासनिक संरचना:-

- 2.1 राजस्थान में निगम का मुख्यालय जनपथ, "डी" ब्लॉक, प्रथम तल, वित्त भवन, जयपुर में अवस्थित है, एवं आबकारी आयुक्त निगम के पदेन प्रबन्ध निदेशक एवं विभागाध्यक्ष हैं। आबकारी आयुक्त का मुख्यालय उदयपुर होने की वजह से दिन प्रतिदिन का कार्य संचालन कार्यकारी निदेशक करते हैं।
- 2.2 कार्यकारी निदेशक के सहयोग के लिए तीन महाप्रबंधक पदस्थापित हैं:-
 (i) महाप्रबंधक (प्रशासन) (ii) महाप्रबंधक (ऑपरेशन)
 (iii) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
- 2.3 महाप्रबंधक (प्रशासन) के सहयोग के लिए प्रबंधक (प्रशासन) तथा उपमहाप्रबंधक (MIS), महाप्रबंधक (ऑपरेशन) के सहयोग के लिए प्रबंधक (ऑपरेशन) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के सहयोग के लिए उपमहाप्रबंधक तथा प्रबंधक इत्यादि पद स्वीकृत हैं।
- 2.4 राज्य के 33 जिलों में 39 डिपो कार्यरत हैं। प्रत्येक डिपो पर सामान्यतः 4-अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं:-
 1 डिपो मैनेजर 2. क0 लेखाकार
 3 सुपरवाइजर (संख्या-2)
- 2.5 निगम में सभी स्वीकृत पदों को राजकीय निर्णयानुसार प्रतिनियुक्ति एवं सेवानिवृत्त कर्मियों की संविदा नियुक्ति से भरा जाता है। निगम में स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पद का नाम	वेतन श्रृंखला		स्वीकृत पद
		पे ब्रेण्ड	ग्रेड पे	
1	प्रबन्ध निदेशक पदेन	-	-	1
2	आबकारी आयुक्त IAS कार्यकारी निदेशक	-	-	1
3	महाप्रबंधक (प्रशासन)	-	-	1
4	महाप्रबंधक (ऑपरेशन)	37400-67000	3700 (22)	1
5	वित्तीय सलाहकार, R.Ac.S	PB- 4		
6	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	37400-67000	8700 (22)	1
7	वित्तीय सलाहकार, R.Ac.S	PB- 4		
8	उप महाप्रबंधक	15600-39100	6600 (17)	2
9	मैनेजर	15600-39100	5400 (15)	8
10	कम्पनी सफ्टवेयर / पारट टाइम सहा. प्रबन्धक	-	-	1
11	सहा. प्रबन्धक	9300-34800	4200 (13)	4
12	डिपो मैनेजर	9300-34800	3600 (12)	39 कार्यरत
		PB-2	4200 (13)	3 नवसृजित डिपो कुल (42)
13	लेखाकार	9300-34800	3600 (12)	3
		PB-2		
14	निजी सहायक / निजी सचिव	9300-34800	3600 (12)	5
		PB-2		
15	क0 लेखाकार	9300-34800	3200 (11)	48
		PB-2		

meesh

95	सुपरवाइजर / L.D.C.	5200-20200 PB-1	1900 (6)	86
96	नत्रालयिक कर्मो (वो लिपिक / क० लिपिक)	5200-20200 PB-1	2400 (9) 1900 (6)	10 (H Q) नवसृजित
97	सूचना सहायक	5200-20200 PB-1	2400 (9)	10 (H Q) नवसृजित
98	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4750-7440-15	1300 (1)	9

न्यायिक प्रकरणों की स्थिति :-

निगम के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन लम्बित प्रकरणों को निगम मुख्यालय पर स्थापना शाखा द्वारा सुपरविजन किया जाता है साथ ही ऐसे प्रकरणों की समीक्षा संयुक्त विधि परामर्शी वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा की जाती है। निगम से सम्बन्धित सभी प्रकरणों को न्याय विभाग की अधिकृत वेबसाइट JAS में लगातार अपडेट एवं वेलीडेट किया जाता है।

2. दिनांक 31.12.12 की लम्बित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	प्रकरणों का विवरण	उच्चतम न्यायालय	न्यायालय				योग	
			उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर में विचाराधीन		सिविल सेवा अधिकरण			अधीनस्थ, श्रम, उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय
			जयपुर	जोधपुर	जयपुर	जोधपुर		
	विचाराधीन / Disc. Board	शून्य	3	2	-	-	7	12
	निर्णय पेश करना शेष	-	-	-	-	-	-	-
	निर्णय की क्रियान्विति	-	-	-	-	-	-	-
	अवमानना प्रकरण	-	-	-	-	-	-	-

अन्य प्रमुख बिन्दु :-

वित्तीय वर्ष 2005-06 में निगम के 105 थोक विक्रेताओं के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2012-13 में निगम ने 41 निर्माताओं एवं लगभग 7300 खुदरा व्यापारियों से सौदे व्यवसाय किया है।

वित्तीय वर्ष 2006-07 से निगम की समस्त व्यावसायिक गतिविधियां ऑन-लाइन हो गई हैं जिसमें वेब आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है। संबंधित निर्माताओं / सप्लायर को साफ्टवेयर एक्सेस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसके तहत OAS डिपो पर माल प्राप्त, उनके उत्पादों की बिक्री और अकलकन के दौरान प्राप्त होने वाले भुगतान के विवरण का आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सौदे अकलकन किया जा सकता है।

Mahesh

52

- 4.3 खुदरा अनुज्ञाधारियों को एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निगम के डिपो प्रबंधकों को इनवाइस-कम ट्रान्सपोर्ट परमिट जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- 4.4 परमिट शुल्क वेण्ड शुल्क/रारचार्ज आदि आवकारी विभाग के लिए निगम द्वारा एकत्र कर राज्य सरकार को जमा करवाया जाता है।
- 4.5 सभी डिपो पर ब्रॉण्ड वैण्ड कनेक्टिविटी युक्त (इनवर्टर्स एवं जनरेटर्स के साथ) अत्याधुनिक सूचना तंत्र स्थापित किया गया है।
5. निगम का टर्नओवर (Turn over) :-
निगम के प्रारम्भिक वर्ष 2005-06 में बिक्री 734.19 करोड़ रु. थी जो कि 2011-12 तक बढ़कर 2572.40 करोड़ रु. हो गयी तथा वर्ष 2012-13 (दिसम्बर 2012 तक) के दौरान बिक्री राशि रु. 2309.28 करोड़ है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	वार्षिक बिक्री (राशि करोड़ों में)	% वृद्धि
2005-06	734.19	-
2006-07	1003.07	36.62
2007-08	1302.72	29.87
2008-09	1597.54	22.63
2009-10	1569.47	(-) 1.75
2010-11	1842.29	17.38
2011-12	2572.40	39.63
2012-13 (दिसम्बर-12)	2309.28	-

6. निगम का वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं माह अप्रैल से दिसम्बर 2012 तक का मदवार आय एवं व्यय विवरण :-
- 6.1 निगम के वास्तविक व्यय के आधार पर आय-व्यय विवरण निम्नानुसार है :-

(Rs. In Lacs)		
Income Head	2011-12 (Actual)	2012-13
Gross Margin	5072.07	4553.42
Interest Income	1165.29	905.00
Demurrage Income	386.81	360.36
Other Misc. Income	78.63	60.20
	6702.80	5878.98
Expenditure Head		
Admin. & General Exp.	1057.38	739.24
Managerial Remuneration	12.18	9.00
Finance Charges		
Depreciation	41.00	-
Privilege fee paid/ Payable to Govt.	5200.00	1100.00
Licence Fee paid to Govt.	223.90	3645.80
Misc. Exp. W/off	-	-
Provision for D. Debts	-	-
Prior Period Exp.	- 31.76	-
	6502.70	5494.04
Profit	200.10	384.94

Malhotra

आवकारी शुल्क, आपूर्ति के आदेश के अनुसार

(साल का अंश)

माह	माह के दौरान			माह तक		
	12-13	13-14 (दिसम्बर 13 तक)	वृद्धि %	12-13	13-14 (दिसम्बर 13 तक)	वृद्धि %
अप्रैल	216.11	227.21	5.14	216.11	227.21	5.14
मई	188.54	244.53	29.70	404.65	471.74	16.58
जून	175.05	202.14	15.48	579.70	673.88	16.25
जुलाई	146.35	178.55	22.00	726.05	852.43	17.41
अगस्त	134.63	167.73	24.59	860.68	1,020.16	18.53
सितम्बर	137.26	162.64	18.49	997.94	1,182.80	18.52
अक्टूबर	154.53	197.08	27.54	1,152.47	1,379.88	19.73
नवम्बर	189.11	212.10	12.16	1,341.58	1,591.98	18.66
दिसम्बर	178.82	214.62	20.02	1,520.40	1,806.60	18.82
जनवरी	156.70			1,677.10		
फरवरी	148.76			1,825.86		
मार्च	183.55			2,009.41		

12/12